9-12-21

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि यह तथ्य सही है कि अपील में अपीलांट् संख्या 1 चम्पालाल पुत्र रामकरण का स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु व्यापक प्रयास करने के उपरान्त भी अपीलांट् संख्या 1 स्व. चम्पालाल के वारिसान की जानकारी उन्हें आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हो पाई है। इस संबंध में अपीलांट् संख्या 1 के पते पर पत्र भी लिखा जा चुका है, परन्तु उनके जायज वारिसान द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किये जाने के कारण अपीलांट् संख्या 1 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही आज दिनांक तक सम्पादित नहीं करवाई जा सकी है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया गया कि न्याय की यह मंशा रही है कि जहाँ पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण गुणावगुण पर बहस सुनने के पश्चात् किया जाना हो, वहाँ मात्र तकनीकी बिन्दु पर प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामलें में भी पक्षकारों के मध्य लम्बे समय से विवाद जैरकार रहा है। ऐसी स्थिति में किसी एक पक्षकार की मृत्यु होने पर अन्य पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर उनके कानूनी व विधिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। ना ही कानून की ऐसी मंशा ही रही है। इसलिए अपील अबेट नहीं हुई है। इसलिए अबेटमेंट सेटएसाईड किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् संख्या 1 चम्पालाल पुत्र रामकरण की मृत्यु की सूचना न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 16–07–2019 को देते हुए प्रार्थना पत्र की प्रति अभिभाषक अपीलांट को दी गई थी। [illegible] की व्यतीत हुए करीब दो वर्ष से अ[illegible] का[illegible]य होने के उपरान्त भी अपीलांट संख्या 1 [illegible] वारिसान की सूची अथवा [illegible] रिकार्ड पर [illegible] जाने के संबंध में कोई का[illegible] आज दिनांक तक नहीं की गई है। जिससे साबित होता है [illegible] वे प्रकरण में आवश्यक रूची नहीं ले रहे है। अपीलांट चम्पालाल के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निर्धारित अवधि मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस थी। उक्त अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:39:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी

जाने पर प्रस्तुत अपील स्वतः ही अबेट हो चुकी है तथा अपीलांट् द्वारा उक्त अबेटमेंट को सटेसाईड कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्याय की यह मंशा रही है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अपीलांट् की अपील जरिये अबेटमेंट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2010 पेज 625, आरबीजे 2012 पेज 540, आरबीजे 2001 पेज 415, आरबीजे 2019 पेज 261 व आरबीजे 2002 पेज 627 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 09–01–2013 के विरूद्व अपील दिनांक 30–10–2013 को पेश की। प्रकरण में अपीलांट संख्या 1 चम्पालाल पुत्र रामकरण की मृत्यु की सूचना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 16–07–2019 को दिये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति अभिभाषक अपीलांट् को दी गई। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलांट् के अधिवक्ता को दिये जाने के करीब दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष अपीलांट् संख्या 1 स्व. चम्पालाल के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने अथवा उनकी सूची आज दिनांक तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में न्यायालय की आदेशिकाओं का भी अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 02–09–2019 को आदेशिका में अभिलिखित किया गया कि

"वकील अपीलांट को बार–बार मौका देने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट की आपत्तियों का जवाब नहीं [illegible] चम्पालाल के वारिसों की और से [illegible] पेश कर रहे है। इस [illegible] मिसल दिनांक 3–09–2019 को [illegible] हो। उक्त अंतिम अवसर के उपरान्त आदेशिक दिनांक 09–12–2019 को भी अ[illegible]ट् के अधिवक्ता द्वारा एक अंतिम अवसर चाहे जाने पर न्यायहित में एक अवसर और प्रदान किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:39:07 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट् एवं उनक अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी स्व. चम्पालाल के वारिसान को आज दिनांक तक रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेशों की अवहेलना व प्रकरण में अपीलांट् चम्पालाल के वारिसान की उदासिनता को प्रकट करता है। उल्लेखनीय है कि दौराने बहस अपीलांट् के अधिवक्ता द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा अथक प्रयासों के बावजूद भी अपीलांट् संख्या 1 चम्पालाल के वारिसान से सम्पर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, ना ही उनके स्वयं के द्वारा भी किसी प्रकार का कोई सम्पर्क किया गया है। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपने हितों के प्रति जागरूक नहीं रहे है।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2019 पेज 261 में अभिलिखित किया गया है कि:–

Civil Procedure Code 1908 – Order 22 Rule 4 – when LR's of the deceased defendant wer not brought on record within 90 days even after the information before the court about the death of defendant by the counsel of the defendant suit will abate.

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2010 पेज 628 में अभिलिखित किया गया है कि:–

Code of Civil Procedure 1908 - Order 22 Rule - 9 - When after the death of appellant plaintiff no application was filed for bringing the LR's of the appellant on record - Delay is of 778 days - Abatment is automatic and no specific order is required. उक्त नजीरें मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:39:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में अपीलांट् संख्या 1 स्व. चम्पालाल की ना तो मृत्यु की सूचना प्रदान की गई ना ही उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के प्रार्थना पत्र के साथ अबेटमेंट को सेटएसाईड करने की मांग नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में बिना मांग के अपीलांट् को सिविल प्रकिया सहिंता, 1908 के आदेश 22 नियम 3 के तहत किसी प्रकार की रिलिफ प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील जरिये अबेटमेंट खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:39:07 IST
Reason: SelfAttested